मानक शर्ते

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्थल में कोई परिवर्तन नही होगा और वह भी पूर्व की भॉति आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांनतरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि मॉगी गई भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तांन्तरीय विभाग उसके कर्मचारी अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे के भुगतान उक्त विभाग को करना होगा जिसमे याचक विभाग सहमत है।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तांन्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तांन्तरीय विभाग को कोई आपत्ति नही होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं अन्य जन्तुओं के स्वच्छ विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/ जल निगम द्वारा वन विभाग की नरसरियों पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग संस्था या व्यक्ति विशेषज्ञ की हस्तांन्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भही हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।
11. पैदल मार्ग मे विश्राम स्थल/अवलोकन बिन्दु निर्माण के प्रस्तावों पर एलाईनमेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श पर्यटन विभाग द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होना जो याचक विभाग को मानय होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, वन निगम अथवा और कोई उपयुक्त प्रकिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से हो तो याचक विभाग द्वारा पड़ने वाले वृक्षों का बाजार भाव पर मूल्य देय होगा।
14. हस्तांन्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण का परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतांन याचक विभाग वन विभाग को करेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है इसी प्रकार बांज के पेडों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।
15. वन भूमि के उपर से विद्युत लाईन ले जाने में यथासम्भव पेडों का कटान नहीं किया जायेगा। या खम्भों को उँचा करके इस सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेडो का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेडो की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण कर के सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी, जिस पर संरक्षण का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना अगर आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक विभाग स्वयं अपने व्यय से करायेगा।
17. उपरीलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्टि प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती है तो याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तथी किया जाय जब उच्च शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुश्चित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता हे कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई याचक विभाग को मान्य है।

नरेश चमोली
वन संरक्षण विशेषज्ञ
पी0एम0यू0, देहरादून

ह0
प्रयोक्ता एजेन्सी
Addl. Program Director
I.D.I.P.T.
Uttarakhand